

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रगोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 39/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गंगाराम पुत्र पुरखाराम		1. मेराजराम पुत्र सोनाराम
2. भीखाराम पुत्र पुरखाराम		2. गोमाराम पुत्र कानाराम
3. जगराम पुत्र पुरखाराम		3. फुसाराम पुत्र कानाराम
4. किशनाराम पुत्र पुरखाराम		4. भेराराम पुत्र कानाराम
5. मोतीराम पुत्र पुरखाराम		5. तेजाराम पुत्र मोडाराम
6. रामाराम पुत्र कुम्भाराम		6. प्रहलादराम पुत्र मोडाराम
7. पनाराम पुत्र कुम्भाराम		7. तुलछाराम पुत्र मोडाराम
8. किरताराम पुत्र उगराराम		8. रामाराम पुत्र मोडाराम
9. हनुमानराम पुत्र उगराराम		9. जोगाराम पुत्र देदाराम
10. अणसीदेवी पत्नि उगराराम		10. हजूमनराम पुत्र देदाराम
11. सोनाराम पुत्र बुधराराम		11. भगवानाराम पुत्र नगाराम
जातियान जाट निवासी		12. वालाराम पुत्र नगाराम जातियान
नारायणपुर सड़ा झुण्ड		जाट निवासी नारायणपुर,सड़ा
तहसील सिणधरी जिला		झुण्ड पं.स. पायला कलां
बाड़मेर		13. जालाराम पुत्र कुम्भाराम
		14. नीम्बाराम पुत्र कालूराम
		जातियान जाट निवासी कागों
		की ढाणी तहसील सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023



1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या क्रमश:- 132, 133, 135, 136/9, 136/8, 136/12, 136/10, 136/11, 137/5, 136/14, 137/1, 136/2, 136/1, 136/15, 136/13, 136/3 रकबा क्रमश:- 0.0647, 0.0485, 0.0809, 3.

उपखण्ड अधिकारी

8832, 2.4998, 1.6180, 4.1178, 2.1843, 1.9416, 2.1196, 1.9416, 4.0855, 4.2877, 1.6180, 4.2553, 1.6180 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सडा में खसरा संख्या क्रमश— 132, 133, 135, 136/9, 136/8, 136/12, 136/10, 136/11, 137/5, 136/14, 137/1, 136/2, 136/1, 136/15, 136/13, 136/3 रकबा क्रमश— 0.0647, 0.0485, 0.0809, 3.8832, 2.4998, 1.6180, 4.1178, 2.1843, 1.9416, 2.1196, 1.9416, 4.0855, 4.2877, 1.6180, 4.2553, 1.6180 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण ' का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सडा में खसरा संख्या क्रमश— 132, 133, 135, 136/9, 136/8, 136/12, 136/10, 136/11, 137/5, 136/14, 137/1, 136/2, 136/1, 136/15, 136/13, 136/3 रकबा क्रमश— 0.0647, 0.0485, 0.0809, 3.8832, 2.4998, 1.6180, 4.1178, 2.1843, 1.9416, 2.1196, 1.9416, 4.0855, 4.2877, 1.6180, 4.2553, 1.6180 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सडा में खसरा संख्या क्रमश— 132, 133, 135, 136/9, 136/8, 136/12, 136/10, 136/11, 137/5, 136/14, 137/1, 136/2, 136/1, 136/15, 136/13, 136/3 रकबा क्रमश— 0.0647, 0.0485, 0.0809, 3.8832, 2.4998, 1.6180, 4.1178, 2.1843, 1.9416, 2.1196, 1.9416, 4.0855, 4.2877, 1.6180, 4.2553, 1.6180 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या क्रमशः— 132, 133, 135, 136/9, 136/8, 136/12, 136/10, 136/11, 137/5, 136/14, 137/1, 136/2, 136/1, 136/15, 136/13, 136/3 रकबा क्रमशः— 0.0647, 0.0485, 0.0809, 3.8832, 2.4998, 1.6180, 4.1178, 2.1843, 1.9416, 2.1196, 1.9416, 4.0855, 4.2877, 1.6180, 4.2553, 1.6180 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नारायणपुर, पटवार हल्का सड़ा में खसरा संख्या क्रमशः— 132, 133, 135, 136/9, 136/8, 136/12, 136/10, 136/11, 137/5, 136/14, 137/1, 136/2, 136/1, 136/15, 136/13, 136/3 रकबा क्रमशः— 0.0647, 0.0485, 0.0809, 3.8832, 2.4998, 1.6180, 4.1178, 2.1843, 1.9416, 2.1196, 1.9416, 4.0855, 4.2877, 1.6180, 4.2553, 1.6180 हैक्टेयर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी